आमजन देखेंगे सेना के शौर्य और बलिदान की गाथा : भजनलाल शर्मा

आर्मी-डे परेड की तैयारियां कार्ययोजना के अनुरूप पूर्ण करें : मुख्यमंत्री

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी 15 जनवरी को भारतीय सेना द्वारा जयपुर में आर्मी-डे परेड का आयोजन किया जाएगा। इस सम्पूर्ण आयोजन के माध्यम से आमजन को भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान के गौरवशाली इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि आर्मी-डे परेड का आयोजन भव्य और व्यापक रूप से किया जाएगा।

शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आर्मी-डे परेड की तैयारियों को लेकर भारतीय थल सेना एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह परेड भारतीय सेना और वीर सैनिकों के पराक्रम और वीरता को प्रदर्शित करेगी। प्रशासन और अधिकारी इस आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों को समय से पूर्ण करने के लिए सैन्य अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर जयपुर को जगतपुरा के महल रोड पर आर्मी-डे परेड से संबंधित सभी तैयारियां समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परेड में शामिल होने वाले विशिष्ट गणमान्य, सैन्य अधिकारी और शहीदों के परिजनों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। उन्होंने पुलिस आयुक्त, जयपुर को परेड स्थल पर पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था के उचित प्रबंधन के लिए भी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परेड और इससे संबंधित अन्य आयोजनों को देखकर विशेष रूप से युवाओं में देश भक्ति की भावना और अधिक प्रबल होगी। दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बैठक में बताया कि 8 से 15 जनवरी तक उपकरण प्रदर्शन होगा। साथ ही, 15 जनवरी को ही आर्मी-डे परेड एवं सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सांस्कृतिक विविधता और शौर्य गाथा से संबंधित ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी 7 दिसम्बर को जेएलएन मार्ग पर ऑनर रन का भी आयोजन होगा।बैठक में मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आर्मी-डे परेड की तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित भारतीय थल सेना एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को आर्मी-डे परेड की तैयारियों को लेकर भारतीय थल सेना एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

- 15 जनवरी को भारतीय सेना द्वारा जयपुर में आर्मी-डे परेड का आयोजन किया जायेगा
- इससे पूर्व 8 से 15 जनवरी तक उपकरण प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी

सांसद हरीश मीणा के बेटे हनुमंत मीणा का हृदयाघात से निधन

जयपुर (कासं)। टोंक-सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद व पूर्व डी.जी.पी. हरीश मीणा के इकलौते बेटे हनुमंत मीणा (35) की हार्टअटैक (हृदयाघात) से मौत हो गई। 2 दिन पहले सीने में दर्द की शिकायत होने पर उनको जयपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हनुमंत मीणा को जनरल वार्ड में भर्ती कर जांचें की गई, जो एकदम ठीक आई थी। आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। दोपहर करीब 3 बजे हनुमंत मीणा को हार्टअटैक आ गया। इस दौरान डॉक्टर भी वार्ड में ही थे। डॉक्टर ने तुरंत हनुमंत मीणा को संभाला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलने पर हरीश मीणा टोंक में कांग्रेस की बैठक रद्द करके जयपुर लौटे। गुरूवार शाम को आदर्श नगर स्थित श्मशान घाट में गमगीन माहौल के बीच हनुमंत मीणा का अंतिम संस्कार किया गया।

मात्र 35 वर्षीय हनुमंत एक व्यवसायी थे और जयपुर में अपना व्यवसाय संभालते थे। हनुमंत मीणा के निधन की खबर से उनके परिवार में गहरा शोक है। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। इस दुखद घटना के बाद राजस्थान के राजनीतिक हलकों में भी शोक की लहर दौड़ गई है। हनुमंत के पिता, सांसद हरीश चंद्र मीणा, 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, और वर्तमान में टोंक-सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद है।बताया जा रहा है कि, कांग्रेस सांसद हरीश मीणा गुरूवार सुबह बेटे हनुमंत मीणा से अस्पताल में मिले थे। इसके बाद वह सवाई माधोपुर में कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के लिए निकल गए थे। सवाई माधोपुर के बाद वह टोंक में कांग्रेस की बैठक में जा रहे थे। रास्ते में उनको बेटे की मौत की सूचना मिली तो वे टोंक बाइपास से सीधे जयपुर लौट गए। हनुमंत मीणा बिजनेसमैन थे, उनके एक बेटा और एक बेटी है।टोंक में कांग्रेस की बैठक स्थगित सूचना के बाद कांग्रेसियों में भी शोक की लहर दौड़ गई। ए.आई.सी.सी. महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने हनुमंत मीणा की मौत पर दु:ख जताया। हनुमंत मीणा के निधन की सूचना मिलने के बाद टोंक कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस ऑफिस में रखी गई बैठक भी स्थगित कर दी गई।

- आदर्श नगर स्थित मोक्षधाम में गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार
- बताया जा रहा है कि हनुमंत मीणा को 2 दिन पहले सीने में दर्द के बाद निजी अस्पताल भर्ती कराया गया था

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में चचेरी बहन और अभियुक्त को 20 साल की सजा

अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 1.80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

जयपुर । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म से जुड़े मामले में पीड़िता की चचेरी बहन और उसके परिचित अभियुक्त धीरज को 20 साल की सजा सुनाई है। पीठासीन अधिकारी अलका बंसल ने दोनों अभियुक्तों पर 1.80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत पीडिता को क्षितपूर्ति दिलाने के लिए प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजा है।अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीडिता ने 26 अक्टूबर, 2023 को सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी चचेरी बहन उसे अपने दोस्त के निवास पर कार्यक्रम का कहकर ले गई थी। जब वह मौके पर पहुंची तो कोई कार्यक्रम नहीं था और सिर्फ अभियुक्त वहां मिला। इस दौरान चचेरी बहन उसके साथ रात को रुक गई। जहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके चलते अगले दिन उसने अनाज में रखने वाली कीडे मारने की गोली खा ली थी, लेकिन गोली पुरानी होने के कारण उसकी जान बच गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 4 अक्टूबर और चचेरी बहन को 5 दिसंबर को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। पुलिस जांच में पता चला कि चचेरी बहन पीडिता को कार्यक्रम का बहाना कर अपने साथ ले गई थी। रात के वक्त तीनों एक ही कमरे में सोए थे। जहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त और पीड़िता की चचेरी बहन को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

बीसीआर चुनाव के नामांकन की फीस बढ़ाने और कमेटी गठन को चुनौती

जयपुर । प्रदेश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव के नामांकन की फीस 10 हजार से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में चुनाव कराने की जिम्मेदारी देने के लिए कमेटी गठित करने को भी चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष और बीसीआर का चुनाव लडने वाले अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा की ओर से दायर इस याचिका पर अदालत 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। याचिका में बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सचिव और बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव को पक्षकार बनाया गया है।

याचिका में कहा गया कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया नियम, 1961 के नियम 3 में प्रावधान है कि राज्य बार कौंसिल का सचिव रिटर्निंग ऑफिसर होगा और उसकी ही चुनाव कराने की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं बीसीआर चुनाव नियम,1968 के नियम 8 में हुए संशोधन में प्रावधान है कि नामांकन फीस दस हजार रुपए रहेगी। इसके बावजूद भी बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने गत 25 सितंबर को आदेश जारी कर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव कराने के लिए सात अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन कर दिया। इसके अलावा प्रत्याशियों से नामांकन फीस के तौर पर दस हजार रुपए के स्थान पर 1.25 लाख रुपए लेने का प्रावधान किया। याचिका में कहा गया कि राज्य बार कौंसिल के चुनाव को लेकर बीसीआई को दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार ही नहीं है। इसके अलावा नियमों के विपरीत जाकर भी बीसीआई आदेश जारी नहीं कर सकती।

'राजस्थान में भाजपा सरकार के 20 माह, कांग्रेस के 5 वर्षों पर भारी'

जयपुर । भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के 20 महीनों के कार्यकाल को कांग्रेस सरकार के 5 सालों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी और परिणामदायक बताया।

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार का पूरा कार्यकाल सेवा, विकास और पारदर्शिता के संकल्प पर केंद्रित रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में जहां निष्क्रियता और केवल घोषणाओं की राजनीति हावी थी, वहीं वर्तमान सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुँचाने का संकल्प लेकर जनसंपर्क अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया है। ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया।

डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी, लेकिन भाजपा सरकार ने प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाकर इस स्थिति को सुधारा है। सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए गए शिविरों में भूमि विवाद, नामांतरण, प्रमाण पत्र, पेंशन और जन आधार से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निपटारा किया गया। इसके साथ ही सहकारी सदस्यता अभियान के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में आम नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा मिला है, जो पहले कुछ गुटों के नियंत्रण में था।

- भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रैस कॉफ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि भाजपा सरकार ने 20 महीनों में जो काम किए हैं, वे कांग्रेस सरकार पूरे 5 वर्षों में नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों के हित में अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, सड़कों, आवास और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भाजपा सरकार की उपलब्धियाँ कहीं अधिक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को समर्पित रहते हुए खेतों की तारबंदी, फार्म पॉन्ड निर्माण, पाइपलाइन वितरण और बीज मिनी किट के माध्यम से उन्हें राहत दी है। सहकारी बैंकों के माध्यम से रिकार्ड ऋण वितरण किया गया है। डॉ. बैरवा ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने बिजली उत्पादन, नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और सड़क निर्माण के क्षेत्र में भी कांग्रेस से कहीं अधिक कार्य किया है। विद्यार्थियों को टैबलेट और लैपटॉप वितरण की योजना के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल क्रांति लाई गई है। सरकार की कोशिश रही है कि बजट घोषणाएं केवल कागज़ों तक सीमित न रहें, बल्कि हर योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंचे।

भाजपा विधायक कुलदीप धनखड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने 12 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की हैं जो लाखों लोगों को राहत देंगी। किसानों को दिन में बिजली देने की व्यवस्था की, पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिया और बड़ी संख्या में कृषि कनेक्शन जारी किए। वृक्षारोपण के क्षेत्र में करोड़ों पौधे लगाकर कीर्तिमान रचा।

धनखड़ ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं में कांग्रेस सरकार के समय भारी गड़बड़ियां थीं, लेकिन भाजपा सरकार ने 32 लाख अपात्र नाम हटाकर 59 लाख नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ा है, जिससे योजनाओं का लाभ वास्तव में ज़रूरतमंदों को मिला है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार ने साइकिल वितरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, लखपति दीदी योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, पीएम मातृ वंदना योजना जैसे अनेक कदम उठाए हैं, जिनसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सफलता मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि युवाओं के लिए नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों के त्वरित निस्तारण और 21 नवीन नीतियों के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन देने जैसे कार्य किए हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण को नई उडान

हर क्षेत्र में महिलाओं को मिल रहे समान अवसर, योजनाओं से बन रही आत्मनिर्भर

जयपुर । राज्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा लगातार प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिणक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री का मानना है कि "आधी आबादी" की भागीदारी के बिना विकसित राजस्थान की कल्पना अधूरी है, इसी सोच के साथ सरकार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक पहल की हैं। महिलाएं खेती से लेकर उद्योग और आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों तक में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं।

- शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उद्यिमता के क्षेत्र में उठाए गए अभूतपूर्व कदम

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मातृत्व पोषण योजना, नि:शुल्क सैनिटरी नेपकिन वितरण, गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी कूपन जैसे कदमों से महिलाओं को सीधा लाभ मिला है।

राज्य सरकार ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए गार्गी पुरस्कार, कालीबाई स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना जैसी योजनाएं चलाई हैं, जिनके अंतर्गत अब तक 39 हजार से अधिक स्कूटियां वितरित की गई हैं। सरकारी महाविद्यालयों में छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है।

महिला सुरक्षा के लिए 181 हेल्पलाइन, 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और महिला सलाह केंद्र जैसे ठोस प्रयास किए गए हैं।

महिला उद्यिमता को बढ़ावा देने के लिए महिला निधि के तहत 31,053 स्वयं सहायता समूहों को ऋण दिया गया।

'लखपति दीदी' योजना में 18.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण मिला, जिनमें से 11 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। ड्रोन प्रशिक्षण, अमृता हाट, वन धन विकास केंद्र जैसे नवाचारों से ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों की महिलाएं भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रही हैं।

जर्जर स्कूल भवनों और छात्रसंघ चुनाव पर सुनवाई टली

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के जर्जर स्कूल भवनों और राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए दायर याचिका पर 15 अक्टूबर तक सुनवाई टाल दी।जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत में महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से जर्जर स्कूल भवनों के संबंध में मांगी गई जानकारी तैयार की जा चुकी है, लेकिन प्रमुख शिक्षा सचिव बीते तीन दिन से मौजूद नहीं हैं। ऐसे में मामले की सुनवाई टाली जाए। वहीं एएसजी भरत व्यास की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से एएसजी पद का कार्यभार हाल ही में ग्रहण किया गया है। दोनों को सुनकर अदालत ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई टाल दी। इसी तरह जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव कराने को लेकर दायर याचिका में अधिवक्ता अभिनव शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के प्रकरणों का हवाला देते हुए छात्रसंघ चुनाव कराने की गुहार की गई।

4 साल की पीडिता के बयान पर हुई अभियुक्त को सजा

जयपुर । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 1 महानगर प्रथम ने चार साल की पीडिता के बयान के आधार पर पॉक्सो प्रकरण के अपराधी रोहित मलाह को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 22 वर्षीय इस अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में पीड़ित बालिका की साक्ष्य पूर्णत: विश्वास करने योग्य है।

पीडिता न केवल अपने बयानों पर कायम रही, बल्कि प्रति परीक्षा में भी उसके बयानों में विरोधाभास नहीं रहा। प्रकरण में साढ़े तीन साल की पीडिता ने ऐसी पीड़ा को झेला, जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने बताया कि घटना को लेकर पीडिता की बुआ ने 24 मई, 2024 को जवाहर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट में कहा गया कि तीन दिन पहले रात के समय वह अपने पति के साथ नीचे वाले कमरे में सो रही थी और पीडिता व उसकी बेटी छत पर सो रही थी। छत पर बने पोर्शन में अभियुक्त अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था।

रात करीब साढ़े 11 बजे पीड़िता के रोने की आवाज आई। जब पीड़िता को संभाला को उसने पेट दर्द होने की बात कही। अगले दिन भी पीडिता ने अपनी दादी को दर्द की शिकायत कर डॉक्टर को दिखाने की बात कही, लेकिन उसकी मां ने ध्यान नहीं दिया। बीती रात करीब एक बजे बच्ची ने रोते हुए फिर से दर्द होने की शिकायत की।

इस पर ध्यान से देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट पर सूजन आ रखी थी। पूछने पर पीडिता ने बताया कि अभियुक्त ने वहां अपनी अंगुली डाली थी।

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत के सामने घटना को दोहराया।

वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसका परिवार पीड़िता की बुआ के घर रहता है और वह मकान खाली कराने के लिए उसे झूठा फंसा रही है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।